प्रकरण संख्या 19/2018 कालिया बनाम जगदीश

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के दादा कालिया पिता कचरिया के नाम खतौनी रियासत सन् 1915 संवत् 1972 में खाता संख्या 24 के सर्वे नंबर 605 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा व सर्वे नंबर 615 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम राखो, तहसील बागीदौरा में स्थित है एवं सेटलमेन्ट के दौरान साबिक आराजी नंबर 605 व 615 के हाल आराजी नंबर 587 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा दर्ज हुए, जो संवत् 2006 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा खातेदार मडिया पिता कालिया बतौर खातेदार दर्ज है। तहसील बागीदौरा का पुनः सेटलमेन्ट होने पर आराजी नंबर 587 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा के नये नंबर 306 रकबा 0.05 हैक्टर एवं 310 रकबा 0.64 हैक्टर बने। वादी के पिता ने कभी भी सर्वे नंबर 585 का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता लाला को नहीं किया, न ही उन्हें विक्रय करने का कोई अधिकार था, क्योंकि भूमि पैत्रृक होने से वादीगण के अधिकार व स्वत्व जन्म से निहित हैं। विक्रय के आधार पर लाला पिता देवेंग के नाम पर जो खाता खोला गया है वह विधि विरूद्व है एवं लाला की मृत्यु पश्चात विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हुई वह भी विधि विरूद्व होने से काबिल निरस्त के है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी नंबर 306 रकबा 0.05 हैक्टर एवं 310 रकबा 0.64 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 23.05.2018 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 31.08.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की [illegible] रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या [illegible] की ओर से वकील श्री संजय त्रिवेदी उपस्थित हुए। रे[illegible]स्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:30 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प 31.05.2018 का निर्णय दिनांक 31.07.2018 को घोषित किया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा कई बार जानकारी चाहे जाने पर उन्हें निर्णय के बारे में नहीं बताया गया। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 31.07.2018 से पूर्व नहीं थी। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना साक्ष्य लिए निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट की पहचान किसी भी अधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.03.2018 अनुसार पत्रावली प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के जवाब हेतु दिनांक 02.04.2018 के लिए नियत थी एवं उक्त दिनांक को जवाब हेतु समय चाहे जाने पर दिनांक 16.04.2018 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 16.04.2018 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से प्रकरण में पेशी दिनांक 23.05.2018 नियत की गयी, जिसमें पत्रावली राजस्व कैम्प

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:30 IST
Reason: SelfAttested

में रखे जाने का कोई उल्लेख नहीं होते हुए भी प्रकरण दिनांक 23.05.2018 को राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादीगण को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। हम यह भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में निर्णय दिनांक 23.05.2018 को सुनाये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्व अभियान में हुए निर्णयों की जो सूची प्रस्तुत की गयी है, उसमें फैसल दिनांक 31.07.2018 अंकित है तथा उक्त सूची के क्रम संख्या 2 पर प्रश्नगत अपील के वाद संख्या 57/2018 कालिया बनाम जगदीश का उल्लेख है। सम्पूर्णताः हम यह पाते हैं कि अपीलान्ट/वादीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है तथा बिना किसी राजीनामे के एवं बिना किसी पूर्व सूचना के प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गित स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.04.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भ–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:30 IST
Reason: SelfAttested